(ख) निम्नलिखित स्थानों पर व्यस्त समपारों के बदले लागत की भागीदारी के आधार पर ऊपरी / निचले सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है:—

1. मोतिहारी-समपार सं० 163 ए के बदले।
2. आदित्यपुर-कि०मी० 253/21-23 पर।
3. तुपकाडीह-तलगाड़िया खंड पर कि०मी० 14.0 पर चास-इस्पातनगर।
4. चक्रधरपुर-कि०मी० 312/23-25।
5. यारपुर-कि०मी० 544/16-17 पर सम पार के बदले।
6. आरा-कि०मी० 593/9-10 पर सम पार के बदले।
7. पारसनाथ-कि०मी० 317 पर समपार सं० 14 के बदले।

निम्नलिखित स्थानों पर निक्षेप शर्तों पर ऊपरी सड़क पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है:-

1. हाजीपुर
2. कि०मी० 346 पर कन्नुडीह-गोमो खंड
3. कि०मी० 384 / 219 पर कतरास में।
4. कि०मी० 285 / 900 पर डोकरा में।
5. कि०मी० 8.857 पर सिन्दरी में।
6. तेतुलमारी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Abolition of A/C first class in all the trains

3506. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether Government propose to abolish A/C First class in all the trains and in all the routes in Indian Railways forthwith?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): No, Sir.

Construction of broad gauge line between Dindigul and Madras via Trichy

3507. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN:
SHRI V. GOPALSAMY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what progress has been made in construction of broad gauge line between Dindigul and Madras via Trichy, Chengelpat; and

(b) whether any time frame has been fixed for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) 40% on Madras-Tambram section.

(b) The tentative programme, subject to availability of resources, is as under:

Madras-Mount St. Thomas	—	1992-93
Mount St. Thomas-Tambram	—	1993-94
Tambram-Trichy	—	1994-95
Trichy-Dindigul	—	1995-96

नर्मदा एक्सप्रेस के विलंब से चलने के संबंध में रेलवे बोर्ड के विरूद्ध न्यायालय में दायर मुकदमा

3508. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा एक्सप्रेस 8233 और 8234 अप के निरंतर विलंब से चलने के कारण रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय के बिरूद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा दायर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस न्यायालय में; और

(ग) दायर किए गए मुकदमे में उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अक्तूबर' 92 में 11 / सिविल (व्यावहारिक) न्यायाधीश श्रेणी-1, बिलासपुर की अदालत में [illegible]